दिनांकः 14.05.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 04. 05.2024 को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत दिए गए आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि इस वाद के वादी विभाजन वाद सं 120/96 में प्रतिवादी सं 5 हैं और उस मामले में वही लोग पक्षकार हैं जो इस वाद में पक्षकार हैं तथा मुकदमे की विषय वस्तु दोनों की एक है । यह कि दोनों पक्षों के मध्य केवल इस बात को लेकर विवाद है कि रामजी तिवारी और सूबेदार तिवारी की शाखा के मध्य जो संपत्ति थी उसका विभाजन दोनों शाखाओं के बीच हुआ था या नहीं । यह कि ऐसी स्थिति में विभाजन वाद सं 120/96 तथा इस वाद को एक साथ करना न्यायहित में जरूरी है मामले में कुछ लोग उपस्थित हो गया है और अपना जवाब भी दे दिया है इसलिए दोनों ही वाद विभाजन वाद सं 120/96 तथा विभाजन वाद सं 30/20 को एक साथ करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी सं 13 और 14 की ओर से अपने प्रतिउत्तर में कहा गया कि वादी द्वारा जानबूझकर कई तथ्यों को छिपाकर विभाजन वाद सं 120/96 के साथ वर्तमान वाद को समेकित करने का आवेदन दिया गया है । यह कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यह कि विभाजन वाद सं 120/96 के अंतर्गत वादीगण की ओर से विभाज्य संपत्ति में अपना आधा हिस्सा का अनुतोष मांगा गया है । साथ ही साथ दिनांक 19.11.1970 तथा 28.07.1977 के वसीयतनामा को जाली फरेबी रद्द और बातिल करने का अनुतोष मांगा गया है। यह कि वर्तमान वाद में सिर्फ विभाजन की प्रार्थना की गयी है । यह कि वर्तमान वाद के वादी ने अपने 120/96 में प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा है कि रामजी तिवारी और सूबेदार तिवारी के बीच अलगई के बाद दोनों अपने अपने परिवार के कर्ता थे । यह कि विभाजन वाद 120/96 में बहस के लिए वाद निर्धारित है परंतु वर्तमान वाद प्रारंभिक अवस्था में हैं अतः वादी का आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 4 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार विभाजन वाद सं 120/96 तथा वर्तमान वाद में वाद की विषय वस्तु तथा वाद के पक्षकार एक ही है और दोनों ही मामलों में मांगा गया अनुतोष एक ही है अतः मामले में दोनों वादों को एक साथ समेकित करने की कृपा की जाए। विभाजन वाद सं 120/96 के अवलोकन के पश्चात न्यायालय पाती है कि वह वाद न्यायालय में विगत 28 वर्षों से विचाराधीन है मामले में विचारण समाप्त हो चुका है तथा वाद बहस पर निर्धारित है जहां तक

वादी का यह बयान कि दोनों ही वाद में वही सब लोग पक्षकार है जो मुकदमा की विषय वस्तु इस वाद की है वह उस वाद की है यदि वादी का कथन मान भी लिया जाए तो ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 को प्रयोग में लाया जा सकता है जो कि वाद के स्थगन के बारे में वर्णित करती है जहां तक धारा 151 का सवाल है जो न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियों के बारे में वर्णन करती है उसके अनुसार **इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है।**

प्रस्तुत धारा न्याय के उद्देश्यों के लिए तथा न्यायालय के आदेशिका के दुरुपयोग के निवारण हेतु शक्ति प्रदान करती है प्रस्तुत मामले में न्यायालय की राय में चूंकि विभाजन वाद 120/96 में विचारण खत्म हो चुका है वाद बहस पर निर्धारित है दोनों वादों में मांगे गए अनुतोष विभिन्न प्रकृति के हैं ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायालय वादी के धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं पाती है तथा पर्याप्त तथ्यों के अभाव में प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 151 **अस्वीकृत** किया जाता है। एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक .....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।